उत्प्रवासी महासंरक्षक

विदेश मंत्रालय में उत्प्रवासी महासंरक्षक, रोजगार के प्रयोजनों के लिए विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं। पीजीई विदेशी जनशक्ति निर्यात व्यापार के लिए भर्ती एजेंटों (आरए) को पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर सी) जारी करने वाले पंजीकरण प्राधिकारी भी हैं। वे उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग करते हैं।

- **उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 और 12 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार और अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत उसे नवीनीकृत करने का अधिकार।**
- **अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित रद्द और खारिज करने का अधिकार।**
- **अधिनियम के अध्याय चतुर्थ की धारा 15(2) के अंतर्गत विदेशी नियोक्ता (एफई) और परियोजना निर्यातक (पीई) को परमिट जारी करने का अधिकार।**
- **अधिनियम की धारा 24 और 25 के अंतर्गत सीबीआई या राज्य पुलिस विभाग को अपराधों और दंड के लिए अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार।**
- **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क के एक अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों की तरह तलाशी लेने, जब्त करने और व्यक्तियों/ वाहन, आदि को गिरफ्तार करने का अधिकार।**
- **भर्ती एजेंटों को किसी भी रिटर्न, रिकॉर्ड या रजिस्टर जमा करने के लिए आदेश देने और अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत उनकी जाँच के साथ-साथ भर्ती एजेंटों के कार्यालय का निरीक्षण करने करने का अधिकार।**
- **अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत सिविल कोर्ट की शक्ति।**
- **अधिनियम की धारा 3 (4) के अंतर्गत किसी भी उत्प्रवासी संरक्षक को आवंटित सभी या किसी भी कार्य का निष्पादन करने का अधिकार।**

उपरोक्त सभी कार्यों में पीजीई को 10 क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें उत्प्रवासी संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है।